संख्या– 479 /VII-A-1/2020–05(11)/2020

प्रेषक,

ओम प्रकाश
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
देहरादून।

2. समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 13 मई, 2020

विषयः उत्तराखण्ड राज्य में कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को रोकने हेतु प्रतिबन्धित अवधि (Lockdown Period) में नदी तल क्षेत्र में उपखनिज के खनन /चुगान किये जाने हेतु मशीन की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कोरोना वायरस (Covid-19) की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु सोशल डिस्टेन्सिंग तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार भारत सरकार द्वारा घोषित प्रतिबन्धित अवधि (Lockdown Period) के दौरान शासनादेश संख्या–431/VII-A-I/2020–9(244)/2020, दिनांक 02 मई, 2020 द्वारा प्रदेश में खनन संक्रियाएं (**Mining operation**), रिवर ट्रेनिंग आदि मानक संचालन प्रक्रिया (**SOP**) के अधीन प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की गयी है। वर्तमान में चुगान कार्य किये जाने हेतु पर्याप्त मात्रा में श्रमिक उपलब्ध न होने तथा श्रमिकों के अधिक मात्रा में **mobilize** किये जाने से कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण के फेलने की संभावना के दृष्टिगत न्यूनतम श्रमिकों के साथ मशीनों का उपयोग कर खनन क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार खनन गतिविधियां संचालित किये जाने का प्रस्ताव शासन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA), उत्तराखण्ड के पत्र दिनांक 06 मई, 2020 के क्रम में शासन द्वारा सम्यक् विचारोंपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 100 है0 तक के नदी तल उपखनिज क्षेत्र जिनमें पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है, उन नदी तल क्षेत्र से उपखनिज के खनन/चुगान हेतु चुगान क्षेत्र के स्थान, उपखनिज की मोटाई, निक्षेपित होने वाली उपखनिज की मात्रा को देखते हुए **light semi mechanized** तरीके से दिनांक 15 जून, 2020 तक चुगान किये जाने की अनुमति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) खनन/चुगान पट्टेधारक द्वारा श्रम विभाग से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा कि कोविड–19 (कोरोना वायरस) के संक्रमण के कारण चुगान क्षेत्र में आवश्यक श्रमिक उपलब्ध नही हैं।

(2) मशीन के प्रयोग से वातावरण पर किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नही होगा तथा चुगान, **Replenishment** मात्रा से अधिक नहीं किया जायेगा।

3– उक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,
Omprakash
(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव

संख्या– (1)/VII-A-1/2020–05(11)/2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।